न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

परिवाद संख्या 43/2016

सरकार जरीये श्री रेंवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री महावीरचन्द सिंघवी पुत्र श्री हरकचन्द सिंघवी उम्र–62 वर्ष (एफबीओ/मालिक)
   मैसर्स– सिंघवी ट्रेडर्स, 2/193, कुडी भगतासनी हाउसिग बोर्ड, जोधपुर
   निवासी– 6/209, के0के0 कॉलोनी, बासनी, फेज– प्रथम, जोधपुर
2. श्रीमती दीपा गहलोत पत्नी श्री श्याम सुन्दर गहलोत, (निर्माता/भागीदार)
   मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
   निवासी– 188, चाणक्य नगर, लाल सागर, मण्डोर, जोधपुर
3. श्री विनोद भाटी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी (निर्माता/भागीदार)
   मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
   निवासी– भाटीयों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
4. श्री चन्द्र प्रकाश भाटी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी (निर्माता/भागीदार)
   मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
   निवासी– भाटीयों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
5. मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)क्रार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरक्ति जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/ रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री रेंवत सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी

सरकार जरीये श्री रेंवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री महावीरचन्द सिंघवी पुत्र श्री हरकचन्द सिंघवी उम्र–62 वर्ष (एफबीओ / मालिक)
मैसर्स– सिंघवी ट्रेडर्स, 2 / 193, कुडी भगतासनी हाउसिग बोर्ड, जोधपुर
निवासी– 6 / 209, के0के0 कॉलोनी, बासनी, फेज– प्रथम, जोधपुर
2. श्रीमती दीपा गहलोत पत्नी श्री श्याम सुन्दर गहलोत, (निर्माता / भागीदार)
मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
निवासी– 188, चाणक्य नगर, लाल सागर, मण्डोर, जोधपुर
3. श्री विनोद भाटी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी (निर्माता / भागीदार)
मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
निवासी– भाटीयों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
4. श्री चन्द्र प्रकाश भाटी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी (निर्माता / भागीदार)
मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
निवासी– भाटीयों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
5. मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)क्रार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरक्ति जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट / रीडर / 2012 / 1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री रेंवत सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री महावीरचन्द सिंघवी पुत्र श्री हरकचन्द सिंघवी उम्र–62 वर्ष मैसर्स–

सिंघवी ट्रेडर्स, 2/193, कुडी भगतासनी हाउसिग बोर्ड, जोधपुर निवासी– 6/209, के0के0 कॉलोनी, बासनी, फेज– प्रथम, जोधपुर ने सब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र, संशोधित नोटिफिकेशन, अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र–5ए, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, सिंघवी ट्रेडर्स 2/193, कुडी भगतासनी हा0 बोर्ड जोधपुर को विद्युत उपभोग बिल, एम0एम0 फूडस का इनवोईस 169, पहचान पत्र श्री महावीर सिंघवी, नमूना एम–1137 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना एम–1137 खाद्य विश्लेषक को सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, नमूना एम–1137 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, प्रारूप VI, नमूना संख्या एम–1137 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 11941–943 ,जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस 656/एक्ट/2016/685, खाद्य विश्लेषक का पत्र सं. 206–214, सिघंवी ट्रेडर्स जोधपुर को अभिहित अध्किारी द्वारा लिखा 11941–943 पत्र, एम0एम0 फूडस को लिखा पत्र, एम0एम0 फूडस का एफएसएसआई अनुज्ञप्ति 12215036000050, एम0एम0 फूडस को भागीदारी प्रमाण–पत्र, पहचान पत्र श्री चन्द्रप्रकाश भाटी, पहचान पत्र श्री विनोद भाटी, एम0एम0 फूडस का इनवोईस पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 23.052016 को 06.30 पी.एम पर अप्रार्थी श्री महावीरचन्द सिंघवी पुत्र श्री हरकचन्द सिंघवी उम्र–62 वर्ष मैसर्स– सिंघवी ट्रेडर्स, 2/193, कुडी भगतासनी हाउसिग बोर्ड, जोधपुर निवासी– 6/209, के0के0 कॉलोनी, बासनी, फेज– प्रथम, जोधपुर उपस्थित मिलने पर श्री महावीर चन्द सिंघवी को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता ने वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो इन्होने विद्युत उपभोग बिल, पहचान पत्र श्री महावीर सिंघवी पेश किया।

उपरोक्त परिसर का निरीक्षण करने पर डीप फ्रीज में **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर) के 40 कार्टून प्रत्येक में 1.25 लीटर की 12 पेट बोटल्स** आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रुबरू गवाह के समक्ष विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रुबरू गवाहान के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 320/– नगद देकर **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर) 1.25 लीटर की 12 पेट बोटल्स** वास्ते जांच खरीदा एवं रुपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र–5ए, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, सिंघवी ट्रेडर्स 2/193, कुडी भगतासनी हा0 बोर्ड जोधपुर को विद्युत उपभोग बिल, एम0एम0 फूडस का इनवोईस 169, पहचान पत्र श्री महावीर सिंघवी, नमूना एम–1137 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना एम–1137 खाद्य विश्लेषक को सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, नमूना एम–1137 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, प्रारूप VI, नमूना संख्या एम–1137 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 11941–943 ,जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस 656/एक्ट/2016/685, खाद्य विश्लेषक का पत्र सं. 206–214, सिघंवी ट्रेडर्स जोधपुर को अभिहित अधिकारी द्वारा लिखा 11941–943 पत्र, एम0एम0 फूडस को लिखा पत्र, एम0एम0 फूडस का एफएसएसआई अनुज्ञप्ति 12215036000050, एम0एम0 फूडस को भागीदारी प्रमाण–पत्र, पहचान पत्र श्री चन्द्रप्रकाश भाटी, पहचान पत्र श्री विनोद भाटी, एम0एम0 फूडस का इनवोईस पाया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 23.052016 को 06.30 पी.एम पर अप्रार्थी श्री महावीरचन्द सिंघवी पुत्र श्री हरकचन्द सिंघवी उम्र–62 वर्ष मैसर्स– सिंघवी ट्रेडर्स, 2/193, कुडी भगतासनी हाउसिग बोर्ड, जोधपुर निवासी– 6/209, के0के0 कॉलोनी, बासनी, फेज– प्रथम, जोधपुर उपस्थित मिलने पर श्री महावीर चन्द सिंघवी को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता ने वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो इन्होने विद्युत उपभोग बिल, पहचान पत्र श्री महावीर सिंघवी पेश किया।

उपरोक्त परिसर का निरीक्षण करने पर डीप फ्रीज में **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर) के 40 कार्टून प्रत्येक में 1.25 लीटर की 12 पेट बोटल्स** आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के समक्ष विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाहान के सामने विकेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 320/– नगद देकर **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर) 1.25 लीटर की 12 पेट बोटल्स** वास्ते जांच खरीदा एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर) 1.25 लीटर** की 12 पेट बोटल्स को 3–3 की चार भाग तैयार किये एवं विक्रेता एवं गवाह के समक्ष चार लेबल तैयार

एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

किये जिस पर डीओ कोड व सीरियल न. एम'–1137 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनो पर एम'–1137 चार पेपर स्लिप एम'–1137 हस्ताक्षर युक्त डॉ अनिल मित्तल, अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवायें। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में स्वयं , गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे सिल्ड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा दिनांक 24.05.2016 को खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एम–1137 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 23.05.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 23.05.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

यह कि अभिहित अधिकारी के पत्र कमांक 11941–943 दिनांक 20.06.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस. 656/एक्ट/2016/685 दिनांक 20.06.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर)** का नमूना **मिथ्याछाप** (Misbranded) होना पाया गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोधपुर एवं अभिहित अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफएसएसए /2016/स्वीकृति/ एम–1137/20130–31 दिनांक 13.10.2016 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने **मिथ्याछाप** (Misbranded) **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर)** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 17-10-2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से श्री विनोद भाटी ने लिखित मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैने उक्त **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर)** मे किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नही की है नियमो की जानकारी के अभाव में उक्त बोटल्स पर Best before : 75 days from manufacture. **Given in samll letters** होना पाया गया जिसका ज्ञान नही था अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करूंगा। कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस. 656/एक्ट/2016/685 दिनांक 20.06.2016 द्वारा अप्रार्थीगणो से लिया गया सैम्पल नमूना संख्या एम–1137 जांच रिपोर्ट में **मिथ्याछाप**

प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे सिल्ड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा दिनांक 24.05.2016 को खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एम–1137 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 23.05.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 23.05.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

यह कि अभिहित अधिकारी के पत्र कमांक 11941–943 दिनांक 20.06.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस. 656/एक्ट/2016/685 दिनांक 20.06.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर)** का नमूना **मिथ्याछाप** (Misbranded) होना पाया गया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जोधपुर एवं अभिहित अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफएसएसए /2016/ स्वीकृति/ एम–1137/20130–31 दिनांक 13.10.2016 के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने **मिथ्याछाप** (Misbranded) **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर)** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 17-10-2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से श्री विनोद भाटी ने लिखित मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैने उक्त **स्वीटेन्ड कार्बोनेटेड वोटर (कोल्ड फायर)** मे किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नही की है नियमो की जानकारी के अभाव में उक्त बोटल्स पर Best before : 75 days from manufacture. **Given in samll letters** होना पाया गया जिसका ज्ञान नही था अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करूंगा। कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस. 656/एक्ट/2016/685 दिनांक 20.06. 2016 द्वारा अप्रार्थीगणो से लिया गया सैम्पल नमूना संख्या एम–1137 जांच रिपोर्ट में **मिथ्याछाप** (Misbranded) होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगणो द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थीगणो को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। लेकिन अप्रार्थी अभियुक्तगणो द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगणो पर राशि रूपये 1500 (अखरे रूपये [illegible] मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 11/2/17 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11/2/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांक :- 691 - 698

दिनांक : - 11-2-2017

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री रेंवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
4. श्री महावीरचन्द सिंघवी पुत्र श्री हरकचन्द सिंघवी उम्र–62 वर्ष (एफबीओ/मालिक)
   मैसर्स– सिंघवी ट्रेडर्स, 2/193, कुडी भगतासनी हाउसिग बोर्ड, जोधपुर
   निवासी– 6/209, के0के0 कॉलोनी, बासनी, फेज– प्रथम, जोधपुर
5. श्रीमती दीपा गहलोत पत्नी श्री श्याम सुन्दर गहलोत, (निर्माता/भागीदार)
   मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
   निवासी– 188, चाणक्य नगर, लाल सागर, मण्डोर, जोधपुर
6. श्री विनोद भाटी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी (निर्माता/भागीदार)
   मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
   निवासी– भाटीयों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
7. श्री चन्द्र प्रकाश भाटी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी (निर्माता/भागीदार)
   मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
   निवासी– भाटीयों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर

5\. मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थीगणो को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। लेकिन अप्रार्थी अभियुक्तगणो द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगणो पर राशि रूपये 1500 (अखरे रूपये पन्द्रह सौ मात्र मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 11/2/17 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11/2/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर

क्रमांक :- 691 - 698

दिनांक :- 11-2-2017

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री रेंवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
4. श्री महावीरचन्द सिंघवी पुत्र श्री हरकचन्द सिंघवी उम्र–62 वर्ष (एफबीओ/मालिक)
   मैसर्स– सिंघवी ट्रेडर्स, 2/193, कुडी भगतासनी हाउसिग बोर्ड, जोधपुर
   निवासी– 6/209, के0के0 कॉलोनी, बासनी, फेज– प्रथम, जोधपुर
5. श्रीमती दीपा गहलोत पत्नी श्री श्याम सुन्दर गहलोत, (निर्माता/भागीदार)
   मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
   निवासी– 188, चाणक्य नगर, लाल सागर, मण्डोर, जोधपुर
6. श्री विनोद भाटी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी (निर्माता/भागीदार)
   मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
   निवासी– भाटीयों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
7. श्री चन्द्र प्रकाश भाटी पुत्र श्री ज्ञानेश्वर भाटी (निर्माता/भागीदार)
   मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,
   निवासी– भाटीयों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर

5. मैसर्स– एम0एम0 फूडस, खसरा नं. 243, जाडन जागिर, तह0 मारवाड जंक्शन, जिला–पाली,

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर